



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128963

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 17949 वर्ष 2026

अभिषेक गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आशुतोष शंकर द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना।
2. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 0028/2025, बी.एन.एस., 2023 की धारा 318(4), 319(2), 317(2), 111(4) और आ.टी. अधिनियम की धारा 66सी, 66डी के तहत, पुलिस स्टेशन-साइबर क्राइम, ज़िला आजमगढ़ में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है और जाँच के दौरान शाश्वत अवस्थी के अलावा शक्ति और मोनू कुमार को भी आरोपी बनाया गया था। इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने सह-आरोपी शक्ति और मोनू कुमार को ज़मानत दे दी है; उनके ज़मानत आदेश ज़मानत आवेदन के साथ एनेक्ज़र नंबर 4 के तौर पर लगाए गए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम सह-आरोपी शाश्वत अवस्थी ने लिया था, जिसे आजमगढ़ की न्यायालय-1 के अपर सत्र न्यायाधीश ने 04.02.2026 के आदेश से ज़मानत पर रिहा कर दिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि सह-आरोपी शाश्वत अवस्थी के कबूलनामे के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है; उसका बयान एफ.आई.आर. दर्ज होने के चार महीने बाद दर्ज किया गया था। आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में पूरक शपथपत्र के पैराग्राफ सं. 3 में विस्तार से बताया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 15.01.2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, ए.जी.ए. ने आवेदक को ज़मानत देने की मांग का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की भागीदारी के बारे में उसके खिलाफ़ काफ़ी सबूत हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हक़दार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षों के अधिवक्तागण के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और आपराधिक पूर्ववृत्त के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने ज़मानत दिए जाने के लिए गठित किया है।

7. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **स्वीकृत** की जाती है।

8. **आवेदक- अभिषेक गुप्ता**, जो उक्त आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रत्येक को पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले, प्रतिभूगण का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ आई.पी.सी. की धारा 229-ए/बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ कानून के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक का अनुपस्थित रहना जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपरोक्त उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

कीर्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”